न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 53/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. चनन सिंह पुत्र माडू राम जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 10 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।		1. जगसीर सिंह पुत्र माडू राम जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. भगवान सिह पुत्र जगसीर सिंह जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. वीरू राम पुत्र जगसीर सिंह जाति बावरी निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 22.06.2017

उपस्थितः 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

दिनांकः 30/03/21

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 61 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 4 के 24 बीघा नहरी भूमि प्रार्थी के दादा मंहगा राम पुत्र बगू राम जाति बावरी को अलॉट हुई थी। मंहगा राम की मृत्यू उपरान्त उपर्युक्त भूमि का खातेदारी विरास्तन इन्तकाल नम्बर 82 मंहगा राम के वारिसान ईसरो बेवा सम्पूर्ण सिंह, माडू राम, कपूर सिंह, हजूरा राम व बूटा राम के नाम ब.हि.ब. दर्ज हो गया। जिसके अनुसार चक 61 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 32/2 के मुरब्बा नम्बर 4 के कुल 6.072 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/5 हिस्सा का खातेदार प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण का पिता तथा अप्रार्थीगण का दादा मोडू राम पुत्र मंहगा राम दर्ज है। प्रार्थी के पिता माडू राम को उक्त भूमि प्रार्थी के दादा मंहगा राम से विरास्तन प्राप्त हुई थी। जिस कारण उक्त भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है प्रार्थी के पिता माडू राम व माता शानो बाई का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी के माता व पिता की मृत्यू के बाद माडू राम के जायज वारिसान प्रार्थी व प्रार्थी के 9 भाई बहिन है। जो माडू राम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा यानि 1.215 हैक्टर नहरी भूमि में ब.हि.ब. के हकदार है। प्रार्थी के पिता माडू राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टर नहरी भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण प्रार्थी भूमि में जन्म से हकदार है, जिसके अनुसार प्रार्थी 1.215 हैक्टर नहरी भूमि में 1/10 हिस्सा यानि 0.121 हैक्टर नहरी भूमि का खातेदार घोषित करवा पाने का [illegible]। आज से करीब 15 रोज पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थीगण तथा अपने भाई [illegible] कि अपने पिता माडू राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टर नहरी भूमि का विरासतन इन्तकाल [illegible] हिस्सानुसार अपने नाम दर्ज करवा लेवे तो अप्रार्थीगण सहमत नहीं हुए और कहने लगे कि माडू राम ने उपरोक्त भूमि वसीयत अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के नाम ही हुई है। इसलिए वसीयत के अनुसार भूमि इन्तकाल अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज होगा जबकि प्रार्थी को पूरा इल्म है कि प्रार्थी के पिता माडू राम ने अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के हक में कोई वसीयत नहीं की है और ना ही माडू

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:53 IST
Reason: SelfAttested

30/03/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

राम को जद्दी जायदाद की वसीयत करने का हक हासिल था। अगर अप्रार्थीगण हल्का पटवारी से मिलीभगत करके बेईमानी पूर्वक आश्य से माडू राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टर भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लेगे तो प्रार्थी को अपने हक से महरूम होना पडेगा और प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होगी। जिसके लिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ला पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 61 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 32/2 के मुरब्बा नम्बर 4 में माडू राम पुत्र महंगा राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टर नहरी भूमि को रहन, बैय, वसीयत करने से एंव अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने से बाज एंव ममनू रहे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी उपस्थित आए, व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्राथमिक आक्षेप यह कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 नाबालिग है। जिनके विरूद्व विधि अनुसार प्रार्थना पत्र/वादपत्र पेश नहीं किया जा सकता, इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह स्वीकार नहीं है कि चक 61 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 4 के 24 बीघा नहरी भूमि मंहगा राम पुत्र बगू राम को आवटिंत होने के कथन स्वीकार नहीं है। वस्तुतः यह भूमि महंगा राम के उतरजीवियों के नाम दर्ज होना स्वीकार है। माडू राम को यह भूमि विरास्तन प्राप्त होने अथवा वादाधीन भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी की होने के कथन गलत अंकित किए गए है। जो स्वीकार नहीं है। वस्तुतः हिन्दू उताराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि माडूराम व समकालिक खातेदारों की स्वअर्जित भूमि है। माडू राम के नाम दर्ज उक्त भूमि स्वअर्जित सम्पति थी, जिसका उसके द्वारा अपने जीवनंकाल में जरिये पंजीकृत वसीयत अन्तरण अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया जा चुका है। भारतीय उताराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जहां सम्पति धारक द्वारा अपनी सम्पति के सम्बन्ध में वसीयत की गई हो, उसका न्यागमन वसीयत के अनुसार होना ना कि विरास्तन। इस प्रकार से प्रार्थी अथवा किसी भी अन्य वारिस को माडूराम के नाम दर्ज भूमि के सम्वध में कोई हक अथवा हिस्सा प्राप्त नहीं है। भूमि वसीयत के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में अन्तरित हो चुकी है, प्रार्थना पत्र भारी हर्जाने सहित खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 32/2 व इन्तकाल संख्या 82 दिनांक 03.06.1993 का गहनतापूर्वक अध्ययन एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

<u>1.प्रथम दृष्टया मामला</u>:- इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि मामला साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं।

30/03/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

चनन सिंह बनाम जगसीर सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 53/2017

हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 तथा इन्तकाल संख्या 82 दिनांक 03.06.1993 इत्यादि का अवलोकन अध्ययन किया। जमाबन्दी के अध्ययन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 32 के मुरब्बा नम्बर 04 की 6.072 हैक्टर आराजी में से माडूराम पुत्र महंगा राम के नाम 1.215 हैक्टर आराजी बतौर खातेदार दर्ज है। हमने नामान्तरण संख्या 82 की अप्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन किया। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 04 की 24 बीघा नहरी आराजी मंहगाराम वल्द बगूराम कौम बावरी साकिन देह पुख्ता अलॉटी की टिप्पणी नामान्तरण फर्द की कॉलम संख्या 07 में अंकित है तथा मुताबिक सनद संख्या 3268 द्वारा आराजी की खातेदारी ईसरो बेवा सम्पूर्ण सिंह, माडूराम, कपूर सिंह, हजूराराम, बगूराम पिसरान महंगाराम कौम बावरी के नाम जारी कर उक्त इंतकाल संख्या 82 स्वीकृत किया गया। उक्त इंतकाल के अध्ययन से प्रथम दृष्टया मामला यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के दादा मंहगाराम वल्द बगूराम को आवंटित हुई थी। जो कि प्रथम दृष्टया पैतृक-पुश्तैनी की श्रेणी में आती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूंकि वादग्रस्त आराजी के संबध में हाजा न्यायालय में दावा बाबत उद्घोषणा का जैरकार है, साथ ही वादग्रस्त आराजी प्रथम दृष्टया पैतृक-पुश्तैनी होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3.अपूरणीय क्षतिः- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हुए है। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादी/प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी/वादी के पक्ष साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत संमझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 61 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 32/2 के मुरब्बा नम्बर 4 की कुल 6.072 हैक्टर नहरी भूमि में माडूराम पुत्र मंहगा राम के नाम दर्ज 1.215 हैक्टर नहरी भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

30/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

30/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर